न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

[प्र]0 न0:- 25 / 2025 तारीखरजू:- 2/5/25 2025/87.

उनवान:- हरि बनाम संतोष वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक	फर्द अहकाम	
2/5/25	प्रार्थी की ओर से श्री हंसराम गूर्जर एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 रा0टि0एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी वकील ने अपनी बहस मे कथन किया है कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजयात मे अप्रार्थीगण को निर्माण व रहन व्यय करने पर आमदा है इसलिये अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे। बहस तथा प्रार्थना पत्र का मनन व अवलोकन किया गया, मनन उपरान्त पाया गया कि सायल ने प्रार्थना पत्र मे कुल खसरा किता 6 किस्म चारागाह से बेदखल करने का अनुतोष चाहा गया है, वर्णित आराजीयात कुल किता 6 मे से कौन-कौन से खसरा नम्बरान से सायलान को बेदखल किया जा रहा है, का उल्लेख प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बहस मे उल्लेख नही किया है। प्रार्थी द्वारा इस संबध मे साक्ष्य/दस्तावेज भी प्रस्तुत नही किये है। इसलिये अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने की अत्यावश्यक प्रकृति को सिद्व नही करने से अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार नही की जाती है अतः अप्रार्थीगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नही पाते है। अतः प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र से बाहर के नोटिस जरिए रजिस्टर्ड ए.डी. से तलब होकर पत्रावली दिनांक 03.06.2025 को पेश हो। (पूजा मीना) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली	
3/6/25	21 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित अप्रार्थी नं० 1 की ओर से श्री संतोष मीना ने स्वयं उपस्थित होकर आदेशिका पर हस्ताक्षर किये एवं प्रतिवादी नं० 2 की ओर से प्रेजेन्टर सरकार उपस्थित वास्ते जवाब दिनांक 24/6/25 को पेश हो।	सन्तोष मीना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टोडाभीम जिला

दिनांक	फर्द अहकाम
31/10/25	वादी वकील/वकील उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी...राजकार्य...में व्यस्त है। पत्रावली गतानुसार दिनांक....12-12-25 को पेश हो।
12/12/25	वादी वकील/वकील उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी.....करौली मीटिंग में पधारे है। पत्रावली गतानुसार दिनांक...20/1/26 को पेश हो।
20/1/26	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी एवं प्रा० वकील कोई उपस्थित नहीं। बार-2 आवाज दिलाई गई इसके बावजूद भी कोई उपस्थित नहीं रहा। लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अदम पैरवी अदम हाजिरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।